an>

Title: Regarding inappropriate manner in which the army conducted its recruitment examination in Muzaffarpur, Bihar.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): अध्यक्ष महोदया, दिनांक 28 फरवरी, 2016 को बिहार के मुज़फ्फरपुर में सेना में क्लर्क की भर्ती के लिए एक परीक्षा हुई। यह अपने आप में एक बहुत ही अनोखी परीक्षा थी, क्योंकि इसमें शामिल 1150 अभ्यर्थियों को केवल अन्तःवस्त्र पहनाकर खुले मैदान में ज़मीन पर बिठा कर यह परीक्षा दिलवायी गई। सेना भर्ती बोर्ड के डायरेक्टर ने यह सफाई दी कि परीक्षा में गड़बड़ी न हो, कोई नकल न करे, इसलिए हमने छात्रों को ऐसे बिठाया।

पटना उच्च न्यायालय ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन और बेरोज़गारी जैसी समस्या का मज़ाक उड़ाने के बराबर बताया है। मैं नहीं समझती कि भारत देश के इतिहास में इससे ज्यादा शर्मनाक और हास्यास्पद कोई भी परीक्षा हो सकती है। हर लिखित परीक्षा का अपना एक स्वरूप होता है। परीक्षार्थियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। नियमावली के अनुरूप नकल को रोकने के प्रबन्ध किए जाते हैं। भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सेना को भी इसके सख्त निर्देश दिए जाएं और इस प्रकार की हरकत करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, इस तरीके से जिन्होंने परीक्षार्थियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना नाम दे दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री राहुल कस्वां, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री रामचरण बोहरा, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, श्री दुष्यंत चौटाला,

श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री मुकेश राजपूत, श्रीमती रमा देवी, श्री शरद त्रिपाठी, श्री राजेश रंजन, श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।